प्रत्यक्ष विक्रेता अनुबंध समझौता

यह अनुबंध समझौता इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन माध्यम से निष्पादित पक्षों (जिसे आगे चलकर "प्रत्यक्ष विक्रेता" और "प्रत्यक्ष बिक्री संस्था" के रूप में जाना और संदर्भित किया जाएगा, जिनमें उनके वैधानिक उत्तराधिकारी, प्रत्यर्पित, उत्तराधिकारियों, प्रशासकों और उत्तरदायित्व ग्रहण करने वालों को भी सम्मिलित माना जाएगा) के बीच सहमति और स्वीकृति के साथ संपादित किया गया है।

ज्ञात हो कि यह अनुबंध समझौता भारत के अनुबंध अधिनियम, 1872 तथा उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 (जिसे आगे चलकर "नियम" कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित और प्रविष्ट किया गया है।

जबकि प्रत्यक्ष विक्रेता ने पूर्णतः स्वेच्छा से, बिना किसी मानसिक या शारीरिक दबाव अथवा बल के, अपनी मर्जी से M/s Solfit Energy Private Limited (जो कंपनियों अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है) नामक प्रत्यक्ष बिक्री संस्था के प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्क व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है, जिसका प्रधान कार्यालय 4th Floor, Plot No. 582, Hanuwant A, BJS, जोधपुर, राजस्थान – 342001, भारत में स्थित है (जिसे आगे चलकर "Solfit" या "कंपनी" कहा जाएगा)।

और जबकि कंपनी "प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय" में संलग्न है, जिसका अर्थ है वस्तुओं का विपणन, वितरण और विक्रय या सेवाएं प्रदान करना, प्रत्यक्ष विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से, कंपनी के निर्धारित Solfit प्रतिफल योजना के अनुसार (जो इस समझौते का अभिन्न भाग मानी जाएगी, जिसे संक्षिप्तता हेतु यहां पुनरुत्पादित नहीं किया गया है), जो किसी भी पिरामिड योजना या धन परिसंचरण योजना के अंतर्गत नहीं आता।

और जबकि नीचे नामित प्रत्यक्ष विक्रेता, जिनके केवाईसी विवरण संलग्न हैं, को श्री ________________ ID संख्या ________________ द्वारा उसकी ज्ञात स्थानीय भाषा में Solfit प्रतिफल योजना, उत्पाद विवरण और इस ई-अनुबंध समझौते के सभी प्रावधानों को समझाया गया, तथा प्रत्यक्ष विक्रेता ने कंपनी की वेबसाइट www.solfit.in पर जाकर संपूर्ण जानकारी से संतुष्ट होने के बाद स्वेच्छा से कंपनी के प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव दिया और इस ई-अनुबंध समझौते में प्रविष्ट होने का संकल्प लिया, इसलिए यह दस्तावेज निष्पादित किया गया है।

परिभाषाएँ:

1. **"प्रत्यक्ष विक्रेता"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी प्रत्यक्ष बिक्री संस्था द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय लिखित अनुबंध के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय को प्रधान से प्रधान के आधार पर करने के लिए अधिकृत किया गया है।

2. **"प्रत्यक्ष बिक्री संस्था"** का तात्पर्य उस प्रमुख संस्था से है जो प्रत्यक्ष विक्रेताओं के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं को बेचती है या बेचने की पेशकश करती है, लेकिन इसमें वे संस्थाएं शामिल नहीं होतीं जो पिरामिड योजना या धन परिसंचरण योजना में संलग्न हों।

3. **"विक्रेताओं का नेटवर्क"** का अर्थ है प्रत्यक्ष बिक्री संस्था द्वारा बनाए गए प्रत्यक्ष विक्रेताओं के ऐसे नेटवर्क से है जो केवल वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त मूल्य के लिए कार्य करते हैं।

Puneet Sahtani * Secretary * 23-00271 * CP-21485

अतः, अब यह विलेख/अनुबंध निम्नानुसार निष्पादित किया जाता है:

1. प्रत्यक्ष बिक्री संस्था यह सहमति देती है कि वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009, ई-कॉमर्स नियम, 2020 तथा भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री संस्था पर लागू अन्य सभी नियमों एवं कानूनों का पूर्ण रूप से अनुपालन करती है।
2. प्रत्यक्ष बिक्री संस्था यह आश्वासन देती है और प्रत्यक्ष विक्रेता इस पर सहमत होता है:
    a. कि इस ई-अनुबंध समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत प्रत्यक्ष विक्रेता को केवल नए प्रतिभागियों की भर्ती / नामांकन के लिए कोई पारिश्रमिक या प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
    b. कि यह किसी प्रतिभागी से ऐसे सामान या सेवाएं खरीदने की अपेक्षा नहीं करता जिसका मूल्य उस राशि से अधिक हो, जिस पर ऐसे सामान या सेवाओं को उपभोक्ताओं को बेचा या पुनः बेचा जाना अपेक्षित है।
    c. कि यह किसी प्रतिभागी से प्रवेश / पंजीकरण शुल्क / सदस्यता शुल्क, बिक्री प्रदर्शन उपकरण एवं सामग्रियों की लागत या कंपनी के प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में भागीदारी से संबंधित अन्य किसी प्रकार का शुल्क देने की अपेक्षा नहीं करता।
    d. कि कंपनी द्वारा प्रदान की गई Solfit प्रतिफल योजना (जिसे इस ई-अनुबंध समझौते का अभिन्न भाग माना जाएगा और जिसे संक्षिप्तता के लिए यहां पुनरुत्पादित नहीं किया गया है) से यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्यक्ष विक्रेता को देय किसी भी या सभी प्रकार के प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि, जिसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभ शामिल हैं, केवल और केवल उत्पादों की प्रभावी बिक्री, विपणन और वितरण के आधार पर गणना किए जाएंगे, न कि किसी अन्य प्रत्यक्ष विक्रेता की भर्ती / प्रायोजन / परिचय के आधार पर।

3. **कूलिंग ऑफ नीति**
    a. **कूलिंग ऑफ अवधि:** कंपनी उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 की धारा 3(ख) के अनुपालन में एक उचित कूलिंग ऑफ अवधि प्रदान करती है। एक नए पंजीकृत प्रत्यक्ष विक्रेता को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर और निष्पादन की तिथि से 30 दिनों की कूलिंग ऑफ अवधि दी जाती है। इस अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष विक्रेता बिना किसी अनुबंध उल्लंघन या दंड के अनुबंध समझौते को रद्द कर सकता है।
    b. **पारिश्रमिक की वापसी:** यदि किसी प्रत्यक्ष विक्रेता को कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान कंपनी से किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो उसे संबंधित राशि कंपनी को वापस करनी होगी। यह वापसी एक औपचारिक अस्वीकृति पत्र के साथ की जानी चाहिए और इसे नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट (DD), NEFT, RTGS आदि जैसे विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है।
    c. **शुल्क की प्रतिपूर्ति:** यदि कंपनी किसी भी प्रकार का शुल्क, जैसे प्रशिक्षण शुल्क, फ्रेंचाइज़ी शुल्क या प्रचार सामग्री का शुल्क, एकत्र करती है और प्रत्यक्ष विक्रेता शामिल होने के समय प्राप्त सभी वस्तुओं को वापस करने का निर्णय लेता है, तो उसे इन शुल्कों की वापसी का अधिकार होगा। कंपनी इन शुल्कों को नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट (DD), NEFT, RTGS या नेट बैंकिंग जैसे तरीकों से वापस करने की जिम्मेदार होगी। लागू कर जैसे TDS और GST का समायोजन किया जाएगा और वापसी के साथ एक उपयुक्त अस्वीकृति पत्र संलग्न होगा।

4. **बायबैक नीति**

Puneet Sahtani
ACS-50271
COP-21485
Practicing Company Secretary

a. कंपनी प्रत्येक प्रत्यक्ष विक्रेता को निम्नलिखित शर्तों के तहत बायबैक गारंटी प्रदान करती है:

i. **विपणन योग्य स्थिति:** यदि उत्पाद विपणन योग्य स्थिति में है और माल प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर मूल चालान के साथ वापस किया जाता है, तो 100% धनवापसी दी जाएगी। *विपणन योग्य स्थिति* से आशय ऐसे उत्पादों से है जो अप्रयुक्त हों, सीलबंद हों, क्षतिग्रस्त न हों, समाप्त न हुए हों, मौसमी न हों, बंद न किए गए हों और किसी विशेष प्रचार उत्पाद या सेवा का हिस्सा न हों।

ii. **अविपणन योग्य स्थिति:** यदि उत्पाद अविपणन योग्य स्थिति में है और माल प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर वापस किया जाता है, तो कोई धनवापसी नहीं दी जाएगी। *अविपणन योग्य स्थिति* से आशय ऐसे उत्पादों से है जो विपणन योग्य स्थिति के लिए परिभाषित मानदंडों को पूरा नहीं करते।

5. **उत्पाद वारंटी:** कंपनी अपने द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए वारंटी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि किसी प्रत्यक्ष विक्रेता को खरीदे गए उत्पाद में किसी प्रकार की विनिर्माण दोष दिखाई देता है या खरीदा गया उत्पाद निम्न गुणवत्ता का है, तो वह खरीदारी की तिथि से 30 दिनों के भीतर उत्पाद का आदान-प्रदान या वापसी का अनुरोध कर सकता है। आदान-प्रदान या धनवापसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए, प्रत्यक्ष विक्रेता को सत्यापन हेतु मूल चालान के साथ अपनी पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण कंपनी को प्रस्तुत करना होगा।
6. **शिकायत निवारण तंत्र:** प्रत्यक्ष विक्रेता इस पर सहमत है कि कंपनी ने शिकायतों और आपत्तियों के समाधान के लिए एक "शिकायत निवारण तंत्र" स्थापित किया है। यह तंत्र इस समझौते के साथ संलग्न है और इसे इसका अभिन्न अंग माना जाएगा, भले ही इसे संक्षिप्तता हेतु यहां पुनरुत्पादित नहीं किया गया हो।
7. **आयु की पुष्टि:** आवेदन करने वाला प्रत्यक्ष विक्रेता यह पुष्टि करता है कि उसने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, या महाराष्ट्र राज्य में होने पर 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और यह भी सहमति देता है कि वह जानबूझकर 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति (या महाराष्ट्र में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति) को प्रायोजित नहीं करेगा।
8. **जुड़ने के लिए कोई निवेश नहीं:** कंपनी स्पष्ट रूप से यह घोषित करती है कि वह किसी भी संभावित व्यक्ति (भावी या भविष्य के प्रत्यक्ष विक्रेता) से अपने प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का धन निवेश करने की अपेक्षा, प्रोत्साहन या मांग नहीं करती। प्रत्यक्ष विक्रेता केवल उन उत्पादों की लागत वहन करने के लिए जिम्मेदार हैं जो वे खरीदते हैं। अन्य प्रतिभागियों की भर्ती से धन अर्जित करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्यक्ष विक्रेताओं को पारिश्रमिक केवल और केवल कंपनी द्वारा निर्धारित प्रतिफल योजना के अनुसार उत्पादों की बिक्री, विपणन और वितरण के आधार पर दिया जाएगा। प्रत्यक्ष विक्रेता इस समझौते की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करने और कंपनी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं।
9. **वितरण सहायता:** कंपनी प्रत्यक्ष विक्रेताओं को उत्पादों की डिलीवरी के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सहायता फ्रेंचाइज़ी, पिक-अप सेंटर, उपलब्ध कूरियर सेवाओं, परिवहन या किसी अन्य लॉजिस्टिक सेवा के माध्यम से प्रदान की जा सकती है, ताकि एक प्रभावी सहायता प्रणाली बनाए रखी जा सके।
10. **प्रत्यक्ष विक्रेता बनने की आवश्यकताएँ:** प्रस्ताव को स्वीकार करके, आवेदक निम्नलिखित चरणों को पूरा करने के लिए सहमत होता है। कोई भी व्यक्ति, फर्म, या संस्था जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के तहत अनुबंध करने के लिए पात्र है और कंपनी के प्रत्यक्ष बिक्री

ACS-50371
COP-21485
Practising Company Secretary

व्यवसाय के लिए प्रत्यक्ष विक्रेता बनना चाहता है, वह ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है ताकि पूरे भारत में कंपनी के उत्पादों का विपणन और बिक्री कर सके। प्रक्रिया में शामिल हैं:

a. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना और स्कैन की गई केवाईसी दस्तावेज़ अपलोड करना।
b. इस ई-अनुबंध समझौते की शर्तों और नियमों को "I AGREE" बटन पर क्लिक करके स्वीकार करना।
c. उपरोक्त चरण पूरे करने के बाद, प्रत्यक्ष विक्रेता इस समझौते को प्रिंट कर सकता है।
d. इस समझौते के निष्पादन और सभी अपलोड की गई केवाईसी दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद, आवेदक को प्रत्यक्ष विक्रेता के रूप में स्वीकार किया जाएगा। एक विशिष्ट पहचान संख्या और पासवर्ड आवंटित किया जाएगा, जिससे प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनी की वेबसाइट पर अपने व्यक्तिगत खाते तक पहुंच प्राप्त कर सकेगा।
e. प्रत्यक्ष विक्रेता को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित स्वयं-सत्यापित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इस दस्तावेज़ के नीचे "I AGREE" बटन पर क्लिक करने से इस समझौते की शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि होती है।
f. कंपनी आवेदन और केवाईसी विवरण की जांच और सत्यापन कर सकती है। यदि दस्तावेज़ असंतोषजनक, परिवर्तित, जाली या सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो कंपनी आवेदन पर पुनर्विचार कर सकती है और उसे अस्वीकार कर सकती है। प्रत्यक्ष विक्रेता इस संभावना को स्वीकार करता है, और कंपनी के पास आवश्यक होने पर विशिष्ट आईडी नंबर जारी करने से इनकार करने का विशेषाधिकार है।
g. केवाईसी दस्तावेज़ों में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे — पते का सत्यापित प्रमाण, पहचान का प्रमाण, और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार पैन, जो भारत सरकार या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा विधिवत जारी किया गया हो। इन दस्तावेज़ों में शामिल हैं:
    i. आधार कार्ड
    ii. मतदाता पहचान पत्र
    iii. पासपोर्ट
    iv. राशन कार्ड
    v. राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र जिसे ऑनलाइन सत्यापित किया जा सके।
    vi. यदि आवेदक कोई कंपनी या फर्म है, तो अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज़ होंगे:
        1. सीआईएन या पंजीकरण प्रमाणपत्र, एमओए और एओए, या साझेदारी डीड (जैसा लागू हो)।
        2. पैन, जीएसटीआईएन, एफएसएसएआई (जहां लागू हो)।
        3. आवेदक संस्था के निदेशकों/साझेदारों की सूची।
        4. निदेशक/साझेदार के पक्ष में बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण, जो इस ई-अनुबंध समझौते और आवेदन पर हस्ताक्षर और निष्पादन करेगा।

11. प्रत्यक्ष विक्रेता यह घोषणा करता/करती है कि उसे 2016 के दिवालियापन और दिवालियापन संहिता की धारा 79 की उपधारा (3) के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, और वह न तो अस्वस्थ मानसिक अवस्था का है/हैं और न ही प्रत्यक्ष बिक्री संस्था के व्यवसाय में शामिल होने की तिथि से पूर्व के पाँच वर्षों में किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है/हैं।

12. प्रत्यक्ष विक्रेता इस पर सहमत है कि वह उपभोक्ता द्वारा प्रदान की गई सभी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार उपयुक्त

Puneet Lohtani
ACS-58271
CP-21485
Company Secretary
Puneet

कदम उठाएगा/उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा डेटा तक पहुंच या उसका दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं।

13. प्रत्यक्ष विक्रेता इस पर सहमत है कि वह पहचान पत्र और पूर्व नियुक्ति या स्वीकृति के बिना किसी उपभोक्ता के परिसर में नहीं जाएगा/जाएगी।

14. **कार्य का क्षेत्र (स्कोप ऑफ़ द वर्क)**:

    a. प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनी के उत्पादों का विपणन, वितरण और बिक्री मौखिक प्रचार, उत्पादों के प्रदर्शन और डेमो, पैम्पलेट वितरण तथा उपभोक्ताओं और संभावित प्रत्यक्ष विक्रेताओं को घर-घर जाकर बिक्री के माध्यम से करेगा/करेगी।

    b. कंपनी के नाम और लोगो की विशेष स्वामित्व अधिकार कंपनी के पास होंगे। प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनी के ट्रेडमार्क, लोगो टाइप और डिज़ाइन का प्रयोग कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कहीं भी नहीं करेगा/करेगी। यदि अनुमति दी जाती है, तो कंपनी कभी भी इसे वापस ले सकती है। किसी भी उल्लंघन को इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और इससे इस समझौते एवं प्रत्यक्ष विक्रेता की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, साथ ही लागू बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) कानूनों और नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसका प्रत्यक्ष विक्रेता सहमति देता/देती है।

    c. प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनी की Solfit प्रतिफल योजना, उत्पादों की कीमत, BV आदि के किसी भी प्रावधान में किसी भी प्रकार से हेरफेर, परिवर्तन, संशोधन, जोड़ या हटाने का कार्य नहीं करेगा/करेगी और कंपनी की नीतियों, सिद्धांतों, निर्देशों एवं आदेशों के विपरीत कंपनी की ओर से बिना पूर्व लिखित अनुमति और प्राधिकरण के किसी को भी कोई संदेश नहीं भेजेगा/भेजेगी, प्रेषित नहीं करेगा/करेगी या किसी भी प्रकार से संचार नहीं करेगा/करेगी।

    d. प्रत्यक्ष विक्रेता को इस ई-अनुबंध समझौते के अंतर्गत कंपनी के उत्पादों की बिक्री पर बिक्री से संबंधित निर्दिष्ट प्रतिशत / पॉइंट-आधारित (SP Points) प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

    e. कंपनी प्रत्यक्ष विक्रेता को बिक्री, विपणन और वितरण को बढ़ावा देने में सहायता हेतु विस्तृत निर्देश पुस्तिकाएं, कैटलॉग और पैम्पलेट उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्यक्ष विक्रेताओं को अनिवार्य अभिविन्यास प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

    f. कंपनी प्रत्यक्ष विक्रेता को फोटो पहचान पत्र जारी करेगी। यह फोटो पहचान पत्र इस समझौते की समाप्ति / निरस्तीकरण / रद्द होने पर कंपनी को वापस किया जाएगा और/या नष्ट कर दिया जाएगा, परंतु किसी भी प्रकार या रूप में इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। पहचान पत्र में प्रत्यक्ष विक्रेता का नाम और विशिष्ट आईडी नंबर (FSSAI नंबर, यदि लागू हो) अंकित होगा।

    g. कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष विक्रेता को प्रदान किया गया पहचान पत्र कंपनी और प्रत्यक्ष विक्रेता के बीच कर्मचारी-नियोक्ता, सेवा या वेतनभोगी संबंध स्थापित नहीं करता।

    h. प्रत्यक्ष विक्रेता को अपने नाम पर कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार का नकद / चेक / डिमांड ड्राफ्ट एकत्रित करने का अधिकार नहीं होगा। सभी चेक / डिमांड ड्राफ्ट आदि केवल कंपनी के नाम पर ही तैयार किए जाने चाहिए और इन्हें प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर कंपनी के कार्यालय या कंपनी द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्यालयों में जमा करना होगा। प्रत्यक्ष विक्रेता उक्त नकद संग्रह / चेक / डीडी को कंपनी की ओर से न्यास (ट्रस्ट) के रूप में रखेगा/रखेगी। उक्त नकद संग्रह / चेक / डीडी जमा करने में विफल रहने पर प्रत्यक्ष विक्रेता हानि / क्षतिपूर्ति और मुनाफा (Mesne-profit) देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। उपभोक्ता के पास केवल कंपनी द्वारा जारी की गई रसीद / चालान ही वैध दस्तावेजी

COP-21485
Company Secretary

प्रमाण होगी। इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष विक्रेता को कंपनी की ओर से कोई भी रसीद / चालान जारी करने का अधिकार नहीं होगा।

i. कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रारंभ कर सकती है:
    i. ऑनलाइन पोर्टल / ई-कॉमर्स
    ii. स्टोर्स (खुदरा आउटलेट्स)
    iii. अधिकृत बिक्री केंद्र / पिकअप सेंटर

j. प्रत्यक्ष विक्रेता को कंपनी के किसी भी उत्पाद को ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म / मार्केटप्लेस पर बिना कंपनी की पूर्व लिखित सहमति, अनुमति या प्राधिकरण के बेचने का अधिकार नहीं होगा। प्रत्यक्ष विक्रेता को किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन मंच पर, जहां नीलामी के माध्यम से बिक्री की सुविधा उपलब्ध हो, कंपनी के किसी भी उत्पाद या व्यावसायिक अवसर को सूचीबद्ध करने, विपणन करने, विज्ञापन देने, प्रचार करने, चर्चा करने या बेचने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

15. **बिक्री प्रोत्साहन / कमीशन संरचना या अन्य लाभ:** प्रत्यक्ष विक्रेता निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहनों और/या विशेषाधिकारों के लिए पात्र होगा/होगी:

a. प्रत्यक्ष विक्रेता और उसके/उसकी टीम या प्रत्यक्ष विक्रेताओं के नेटवर्क द्वारा उत्पादों और/या सेवाओं की बिक्री, विपणन और वितरण पर, कंपनी की संलग्न (परंतु संक्षिप्तता हेतु यहां पुनरुत्पादित नहीं की गई) Solfit प्रतिफल योजना के अनुसार प्रोत्साहन।

b. प्रत्यक्ष विक्रेता को पूरे भारत में कंपनी द्वारा पेश किए गए उत्पादों का विपणन, बिक्री और वितरण करने का अधिकार होगा। इन उत्पादों की बिक्री पर किसी भी प्रकार का भौगोलिक प्रतिबंध या सीमा लागू नहीं होगी।

c. प्रत्यक्ष विक्रेता अपने विशिष्ट आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके, जो कंपनी द्वारा उसे आवंटित किया गया है, कंपनी की वेबसाइट पर अपने खाते की हमेशा जांच और निरीक्षण कर सकता/सकती है।

d. कंपनी किसी विशेष क्षेत्र/क्षेत्रीय बाज़ार के लिए उत्पादों की सूची को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

e. मूल्य निर्धारण, सरकारी नियम, बाज़ार के प्रभाव और अन्य कारकों में बदलाव कंपनी को अपनी प्रतिफल योजना में परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इन परिवर्तनों के संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। जब भी ऐसे परिवर्तन होंगे, उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ये अधिसूचनाएं कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी और सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं पर लागू होंगी। हालांकि, यदि कोई प्रत्यक्ष विक्रेता इन परिवर्तनों से असहमत है और इनके अधीन नहीं रहना चाहता/चाहती, तो उसके पास ऐसी अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर इस समझौते को समाप्त करने का विकल्प होगा। इसके लिए प्रत्यक्ष विक्रेता को कंपनी को अपनी आपत्ति का लिखित नोटिस देना होगा। यदि कोई प्रत्यक्ष विक्रेता आपत्ति दर्ज किए बिना प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में अपना कार्य जारी रखता/रखती है, तो यह माना जाएगा कि उसने भविष्य की गतिविधियों के लिए सभी संशोधनों और परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है।

f. सभी भुगतान और लेन-देन भारतीय रुपये (INR) में मूल्यांकित होंगे।

g. कंपनी, प्रत्यक्ष विक्रेता बनने के आधार पर, किसी भी प्रकार का सुविधा शुल्क, राशि या आय का कोई भी स्तर गारंटी/आश्वासन/दावा या प्रस्ताव नहीं करती।

h. प्रत्यक्ष विक्रेताओं को दिए जाने वाले बिक्री प्रोत्साहन सभी लागू वैधानिक कटौतियों, जैसे टीडीएस (TDS) आदि, के अधीन होंगे।

i. प्रत्यक्ष विक्रेताओं को देय और भुगतान किए गए बिक्री प्रोत्साहन में सभी प्रकार के कर शामिल होंगे।

Puneet Sahni
CP-00271
COP-21485
Company Secretary

Puneet

16. कंपनी संभावित और मौजूदा प्रत्यक्ष विक्रेताओं को आय के अवसर की यथोचित राशि तथा संबंधित अधिकारों और दायित्वों के बारे में सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करेगी।
17. कंपनी प्रत्यक्ष विक्रेता से अपने उद्यमशीलता कार्य हेतु कोई कार्यालय या प्रतिष्ठान बनाए रखने की अपेक्षा नहीं करती, और यदि कोई प्रत्यक्ष विक्रेता ऐसा करता/करती है, तो उसके द्वारा किए गए ऐसे सभी खर्च वह स्वयं वहन करेगा/करेगी। कंपनी किसी भी स्थिति में इन खर्चों को वापस करने या प्रतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
18. प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनी से सहमत है कि वह केवल कंपनी द्वारा पेश किए गए उत्पादों की बिक्री पर ध्यान केंद्रित करेगा/करेगी और किसी अन्य कंपनी या ब्रांड के ऐसे उत्पादों की बिक्री से बचेगा/बचेगी, जो कंपनी के उत्पादों के समान या समान प्रकृति के हों।
19. प्रत्यक्ष विक्रेता को कंपनी के साथ अपने सभी लेन-देन और पत्राचार में अपना विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number) अंकित करनी होगी। एक बार आवंटित की गई विशिष्ट पहचान संख्या किसी भी समय परिवर्तित नहीं की जा सकती। विशिष्ट पहचान संख्या और पासवर्ड के बिना किसी भी प्रकार का संचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्यक्ष विक्रेता को अपनी विशिष्ट पहचान संख्या और पासवर्ड को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि यह कंपनी की वेबसाइट में लॉग-इन करने के लिए आवश्यक है।
20. प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनी के प्रति वफादार रहेगा/रहेगी, कंपनी की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखेगा/रखेगी तथा अन्य प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ भी अच्छे संबंध रखेगा/रखेगी।
21. प्रत्यक्ष विक्रेता को कंपनी द्वारा निर्धारित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उन्हें भारत सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, न्यायालयों और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, निदेशों और आदेशों का अनुपालन करना होगा। साथ ही, प्रत्यक्ष विक्रेता को किसी भी प्रकार के भ्रामक या अवैध व्यापारिक आचरण, जिसमें गलत बिक्री (Mis-Selling) या अनुचित व्यापारिक प्रथाएं शामिल हैं, से बचना होगा, जैसा कि प्रत्यक्ष बिक्री नियम, 2021 की धारा 3 (फ, ग और इ) तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धाराएं 2(1), (18), (20), (41) से 4(43) और (47) में परिभाषित है। यदि प्रत्यक्ष विक्रेता ऐसे किसी कार्य में संलग्न होता/होती है, तो इसके परिणामों और प्रभावों की पूरी जिम्मेदारी वही स्वयं वहन करेगा/करेगी।
22. प्रत्यक्ष विक्रेता की यह जिम्मेदारी है कि वह संभावित इच्छुक व्यक्तियों को Solfit प्रतिफल योजना को ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत, प्रदर्शित और समझाए जैसा कि उसे कंपनी से प्राप्त हुआ है। यदि प्रत्यक्ष बिक्री संस्था यह देखती है कि प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनी के निर्धारित दिशानिर्देशों या प्राधिकरण के विरुद्ध कार्य कर रहा/रही है, तो संस्था के पास उसका सहभाग समाप्त करने या व्यवसाय में उसकी भागीदारी को प्रतिबंधित करने का विशेष अधिकार है, चाहे कारण बताओ नोटिस दिया जाए या नहीं।
23. कंपनी को शर्तों एवं नियमों, उत्पादों, Solfit प्रतिफल योजना और नीतियों में परिवर्तन करने का अधिकार है, चाहे पूर्व सूचना के साथ हो या बिना पूर्व सूचना के। ऐसे परिवर्तनों की सूचना कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दी जा सकती है। किसी भी संशोधन या परिवर्तन की प्रभावी तिथि से वे लागू होंगे और सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं पर बाध्यकारी होंगे।
24. प्रत्यक्ष विक्रेता अपने ग्राहकों को सामान की डिलीवरी के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा/होगी। वह इस बात के लिए भी जिम्मेदार होगा/होगी कि परिवहनकर्ता/कूरियर द्वारा सामान जहां अंतिम स्थान तक पहुंचाया जाए, वहां से वह उसे प्राप्त करे।
25. प्रत्यक्ष विक्रेता को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कंपनी, उसके उत्पादों आदि के बारे में कोई भी अनुचित या मानहानिकारक सामग्री का उल्लेख / पोस्ट / प्रसारण करने से प्रतिबंधित किया गया है। यदि वह इस धारा के विपरीत कोई कार्य करता/करती है, तो यह अनुबंध समझौता

Puneet Sahtani
A... 50271
...OP-21485

समाप्त माना जाएगा और कंपनी उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

26. एक पैन कार्ड पर केवल एक ही प्रत्यक्ष विक्रेता कोड जारी किया जाएगा।
27. प्रत्यक्ष विक्रेता यह वचन देता/देती है कि वह किसी भी व्यक्ति को कंपनी से उत्पाद खरीदने या प्रत्यक्ष विक्रेता बनने के लिए किसी भी प्रकार के झूठे बयान/वायदे के माध्यम से बाध्य, प्रेरित या गुमराह नहीं करेगा/करेगी।
28. सभी वैधानिक परिवर्तन तत्काल प्रभाव से या कानून में निर्धारित प्रावधान के अनुसार लागू होंगे।
29. प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है और कंपनी को यह प्राधिकरण देता/देती है कि कंपनी उसके बिक्री और खरीद रिकॉर्ड तैयार करे, जिसमें उत्पादों, कीमतों, करों, मात्रा और उसके द्वारा बेचे गए सामान से संबंधित अन्य विवरण शामिल होंगे। ये रिकॉर्ड लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार तैयार किए जाएंगे।
30. प्रत्यक्ष बिक्री संस्था इस बात की जिम्मेदार होगी कि प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी प्रत्यक्ष विक्रेताओं को उपभोक्ता हितों की रक्षा करने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन कराने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने की बाध्य होगी। यह मार्गदर्शन कानूनी और नैतिक सीमाओं के भीतर प्रदान किया जाएगा। यदि कोई प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनी की निर्धारित नीतियों और मार्गदर्शन से बाहर कार्य करने का चयन करता/करती है, तो वह उत्पादों और सेवाओं की बिक्री से संबंधित अपने सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा/होगी।
31. पंजीकरण फॉर्म में उल्लिखित प्रत्यक्ष विक्रेता के पंजीकृत पते, प्रदान किए गए ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर, चाहे वह पंजीकृत डाक, कूरियर सेवा, ई-मेल या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से भेजा गया हो, किसी भी सूचना या संचार को संबंधित प्राप्तकर्ता को आधिकारिक रूप से वितरित माना जाएगा। हालांकि, यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि प्रत्यक्ष विक्रेता अपने पते, ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दे। ऐसा न करने की स्थिति में, प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा किसी भी परिस्थिति में गैर-वितरण का दावा अमान्य माना जाएगा।
32. इस ई-अनुबंध समझौते की अवधि इच्छानुसार है, जो इस ई-अनुबंध समझौते या कानून के अनुसार पूर्व में समाप्त की जा सकती है। यदि किसी भी कारण से यह ई-अनुबंध समझौता समाप्त कर दिया जाता है, तो प्रत्यक्ष विक्रेता यह समझता/समझती है कि उसके द्वारा उत्पाद बेचने और प्रत्यक्ष विक्रेता के रूप में अपनी गतिविधियों के संबंध में प्रोत्साहन प्राप्त करने का अधिकार तुरंत समाप्त हो जाएगा। यदि प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा इस ई-अनुबंध समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो कंपनी इस ई-अनुबंध समझौते को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
33. **कार्रवाई की सीमा:** यदि कोई प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनी के संज्ञान में कोई शिकायत लाना चाहता/चाहती है, तो वह इस समझौते के साथ संलग्न "शिकायत निवारण तंत्र" के अनुसार ऐसा कर सकता/सकती है, जिसे इस समझौते का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा, भले ही इसे संक्षिप्तता के लिए यहां पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है।
34. **क्षतिपूर्ति (Indemnification):** प्रत्यक्ष विक्रेता इस बात से सहमत है कि वह कंपनी और उसके कर्मचारियों, अधिकारियों, निदेशकों, एजेंटों या प्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार की सभी देनदारियों, हानि, जुर्माना, दंड, और लागत (जिसमें कानूनी खर्च और वितरण शुल्क शामिल हैं) से बचाएगा, रक्षा करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा, जो निम्न में से किसी भी कारण से उत्पन्न हो या संबंधित हो:

    a. किसी भी क़ानून, विनियम, निर्देश, आदेश या मानक का उल्लंघन, जो किसी सरकारी निकाय, एजेंसी या नियामक द्वारा प्रत्यक्ष विक्रेता पर लागू होते हैं, जिसमें करों का भुगतान और जमा शामिल है; जैसे कि आयकर, जीएसटी, व्यापार कर, प्रोफेशनल टैक्स (जहां भी लागू हो), और जहां भी लागू व आवश्यक हो, आवश्यक पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त करना।

b. प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा इस ई-अनुबंध समझौते की शर्तों और नियमों का कोई उल्लंघन।
c. प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार या किसी तीसरे पक्ष के किसी अन्य अधिकार या कानून के उल्लंघन का कोई दावा।
d. इस समझौते की अवधि के दौरान समय-समय पर प्रत्यक्ष विक्रेता के कब्जे/नियंत्रण में आने वाली वसूली/राशि का गबन, दुरुपयोग या गलत प्रयोग से संबंधित सभी मामले।

35. **संबंध (Relationship):** प्रत्यक्ष विक्रेता यह स्वीकार करता/करती है कि वह एक स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाली व्यावसायिक इकाई के रूप में कार्य करता/करती है। यह समझौता प्रत्यक्ष विक्रेता को किसी भी उद्देश्य के लिए कंपनी का कर्मचारी, सहयोगी, अभिकर्ता या विधिक प्रतिनिधि स्थापित नहीं करता। प्रत्यक्ष विक्रेता को कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार की बाध्यता ग्रहण करने या किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य करने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्राधिकरण या अधिकार नहीं है जिससे कंपनी कानूनी रूप से बाध्य हो। यदि प्रत्यक्ष विक्रेता किसी भी प्रकार से इस प्रावधान का उल्लंघन करता/करती है, तो वह सभी प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा/होगी, जिसमें वित्तीय, वैधानिक, दीवानी या आपराधिक परिणाम शामिल हैं।

36. **देयता (Liability):** इस समझौते में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर, कंपनी किसी भी कारण से इस समझौते को समाप्त करने पर प्रत्यक्ष विक्रेता के प्रति कोई देयता नहीं रखती। इसमें लाभ की हानि के दावे या व्यवसाय से संबंधित अन्य पक्ष द्वारा किए गए खर्च, निवेश, लीज, पूंजी निवेश या अन्य प्रतिबद्धताओं से जुड़े दावे शामिल हैं, जो इस समझौते के आधार पर या इसके कारण किए गए हों।

37. **इस ई-अनुबंध समझौते का निलंबन, निरसन या समाप्ति:**
a. कंपनी अपने लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन या सक्षम सरकारी प्राधिकरणों के निर्देशों के कारण, किसी भी समय, इस ई-अनुबंध समझौते के संचालन को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसी स्थिति में, कंपनी उपर्युक्त कार्रवाई से उत्पन्न या उससे होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
b. यदि प्रत्यक्ष विक्रेता इस समझौते में उल्लिखित और पूर्व में स्वीकृत किसी भी शर्त का उल्लंघन करता/करती है, तो कंपनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। अन्य संभावित उपायों को कम किए बिना, कंपनी एक माह की नोटिस अवधि के साथ लिखित नोटिस जारी कर सकती है। इस नोटिस में प्रत्यक्ष विक्रेता से अपने कार्यों के लिए लिखित स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया जाएगा। यदि स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता या सामान्य व्यावसायिक मानकों के अनुसार अपर्याप्त माना जाता है, तो कंपनी को प्रत्यक्ष विक्रेता की व्यवसाय में भागीदारी को निलंबित, अवरुद्ध या समाप्त करने का अधिकार होगा। परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष विक्रेता का कमीशन बंद कर दिया जाएगा।
c. प्रत्यक्ष विक्रेता किसी भी समय कंपनी के प्रधान कार्यालय के पते पर 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता/सकती है।

38. **इस ई-अनुबंध समझौते के निलंबन / अवरोध / समाप्ति के पश्चात की कार्रवाई:** इस समझौते में अन्यत्र प्रदान किए गए किसी भी अधिकार और उपचार के बावजूद, इस समझौते की समाप्ति के बाद:
a. प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनी के किसी भी लेन-देन में कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा/करेगी।
b. प्रत्यक्ष विक्रेता जानबूझकर या अन्यथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा/करेगी जिससे किसी तीसरे पक्ष को यह विश्वास हो कि कंपनी का अब भी प्रत्यक्ष विक्रेता के साथ प्रत्यक्ष बिक्री समझौता है।
c. प्रत्यक्ष विक्रेता किसी भी ऑडियो या विजुअल रूप में कंपनी के नाम, ट्रेडमार्क, लोगो आदि का उपयोग बंद करेगा/करेगी।

d. इस समझौते की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न और समझौते की समाप्ति की तिथि तक कंपनी के प्रति प्रत्यक्ष विक्रेता की सभी देनदारियां और दायित्व, प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा हर प्रकार से पूरे, निपटाए और संतुष्ट किए जाएंगे।

39. लागू कानून और विनियम:

a. यह समझौता भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 तथा देश के अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

40. विवाद निपटान: प्रत्यक्ष विक्रेता इस पर सहमत और स्वीकार करता/करती है कि यदि इस समझौते के अंतर्गत या इससे संबंधित किसी भी कानूनी प्रश्न, विवाद या मतभेद की व्याख्या में कोई स्थिति उत्पन्न होती है (उन मामलों को छोड़कर जिनका निर्णय विशेष रूप से इस समझौते में प्रदान किया गया है), तो उपलब्ध उपचारात्मक कार्रवाई इस प्रकार होगी:

a. इस अनुबंध समझौते का अभिन्न अंग बनने वाले और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए शिकायत निवारण तंत्र के अनुसार;

b. इसके बाद, यदि कोई विवाद शेष रह जाता है, तो उसे प्रभावी मध्यस्थता हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन या राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को संदर्भित किया जाएगा;

c. यदि कोई विवाद रह जाता है, तो उसे भारत के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के मध्यस्थता प्रावधानों के अनुसार सुलझाया जाएगा;

या

d. उसे उपभोक्ता विवादों से संबंधित किसी ऐसे विधिक मंच को संदर्भित किया जाएगा, जिसके पास जोधपुर (राजस्थान, भारत) ज़िले में अधिकार क्षेत्र हो।

41. दैविक आपदा (Force Majeure): यदि इस समझौते की अवधि के दौरान, युद्ध या शत्रुता, सार्वजनिक दुश्मन के कृत्य, नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़, राज्य का अधिनियम या वैधानिक प्राधिकरण से निर्देश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी, आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदा या दैवीय आपदा (आगे "घटना" कहा जाएगा) के कारण कंपनी की किसी भी बाध्यता के पूर्ण या आंशिक पालन में बाधा आती है या देरी होती है, तो ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष इस समझौते को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा और न ही कोई पक्ष, इस प्रकार के अपालन या विलंब के संबंध में, दूसरे पक्ष से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकेगा। यह शर्त होगी कि इस समझौते के अंतर्गत सेवाएं, ऐसी घटना समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद, यथासंभव शीघ्र पुनः आरंभ की जाएंगी।

42. प्रत्यक्ष विक्रेता निम्नानुसार सहमत है:

a. कि उसने इस ई-अनुबंध समझौते में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें, साथ ही Solfit प्रतिफल योजना, उसकी सीमाओं और प्रावधानों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। वह पुष्टि करता/करती है कि वह इस ई-अनुबंध समझौते में वर्णित नहीं किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण या वादे पर निर्भर नहीं है।

b. कि कंपनी के साथ उसका संबंध और इस समझौते में उल्लिखित उसकी सभी जिम्मेदारियां, इस समझौते के साथ-साथ, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध Solfit प्रतिफल योजना में निर्दिष्ट विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित होंगी। प्रत्यक्ष विक्रेता पुष्टि करता/करती है कि उसने इन दस्तावेजों को पढ़ा है या इन्हें उसे उसकी समझ की भाषा में पढ़कर सुनाया गया है। वह इस प्रकार इस समझौते में उल्लिखित प्रावधानों से कानूनी रूप से बंधने के लिए सहमत है।

c. कि वह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगा/करेगी और ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होगा/होगी जिससे कंपनी पर किसी भी प्रकार की देनदारी या दायित्व उत्पन्न हो सके।

Puneet Sahtal
ACS-50271
COP-21485
Practicing Company Secretary
Puneet

d. कि कंपनी को प्रदान की गई सभी जानकारी सटीक और सत्य है। यदि यह पाया जाता है कि कंपनी को प्रदान की गई जानकारी गलत या असत्य थी, तो कंपनी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता रखती है।

e. कि इस समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों का कोई भी उल्लंघन इस समझौते की समाप्ति का कारण बन सकता है, जैसा कि इसमें विस्तृत प्रक्रियाओं में वर्णित है।

f. कि मैं स्वयं संबंधित व्यक्ति हूं और उपरोक्त तथ्यों से पूरी तरह अवगत हूं। मैं स्वेच्छा से पूरे भारत में एक प्रत्यक्ष विक्रेता के रूप में नामित होने के लिए सहमत हूं, इस समझौते में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार।

g. कि मैंने कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष विक्रेता की नियुक्ति से संबंधित नियम और शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ी और समझी हैं। मैंने कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, मुद्रित सामग्री, ब्रोशर की भी समीक्षा की है और व्यवसाय के बारे में आश्वस्त हूं। मैं अपनी व्यक्तिगत इच्छा से प्रत्यक्ष विक्रेता के रूप में नियुक्त होने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

h. कि मैं कंपनी द्वारा स्थापित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं पुष्टि करता/करती हूं कि मैंने प्रत्यक्ष विक्रेता की नियुक्ति से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं वाले दस्तावेज़ को पढ़ा है, मुझे समझाया गया है, और मैंने इसे पूरी तरह समझ लिया है।

इस अनुबंध समझौते में निहित सभी प्रावधानों से सहमत और उन्हें स्वीकार करने के प्रतीकस्वरूप, वह इस अनुबंध पर सहमत होता/होती है और हस्ताक्षर करता/करती है।

प्रत्यक्ष विक्रेता विवरण

नामः ______________________

पिता/माता का नामः ______________________

पताः ______________________

पिन कोडः ______________________

राज्यः ______________________

पैन नंबरः ______________________

आधार नंबरः ______________________

बैंक का नाम एवं शाखाः ______________________

खाता संख्याः ______________________

आईएफएससी कोडः ______________________

सोलफिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरः ______________________

नामः Ganga Ram

मोबाइलः 8619309598

ईमेलः gangaram3575@gmail.com

SOLFiT ENERGY PVT. LTD. SOLFiT

Puneet Sahtani ACS-50271 CP-21485 Company Secretary